KOTA-I
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2015006409
Presenter Name : DEEPAK RAJWANSHI
Presenter Address : 2-A-8 TALWANDI KOTA
Document Type : LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA)
Document S. No. : 2015006725

Dated : 05/08/2015
Face Value : 11769900
Stamp Value : 647350

Ordinary Registration Fee	: 117700	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 0
Surcharge on Stamp Duty	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 118000

Already Paid

J-Stamp No : / Amount : 0

(Paid) - DD No. : / Amount
DD Drawn Bank ... 015

(Paid) - EGRAS GRN No. / Amount
Deposit Bank : / Date : ...08/2015

(Paid) - E-Stamp Id No / Amount
E-Stamp Date 05/08/2015

(Paid) - E-Mitra Token No / Amount : 0
E-Mitra Token Date : 05/08/2015

(Paid) - SHCIL Recpt. No. : 1508700 etc / Amount : 118000
SHCIL Receipt Date : 05/08/2015

(Paid) - Cash Recpt No. : / Amount : 0
Date : 05/08/2015

Amount Rs. One Lakh Eighteen Thousand only

Cashier

Sub Registrar, KOTA

Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID	RJ010101JRR	Receipt Date	05-AUG-2015 16:57
S R Location	KOTA-I		
Receipt No	RJ1505481508700		
Name Of Seller	UIT KOTA		
Name Of Buyer	RESONENT WEALTH CON P LTD THR [illegible] RAJWANSHI		
Type of Document	Article 33(C)(II) Lease Deed For Local Bodies (Patta)		
ACC Reference	SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/KOTA II		

Stock Holding Corporation of India Limited

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 50000	CSI	₹ 300
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 50300	**Service Charges**	₹ 40
Grand Total	₹ 50340		

(Rupees Fifty Thousand Three Hundred Forty Only)

Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID	RJ010101JRR	Receipt Date	05-AUG-2015 16:56
S.R Location	KOTA-I		
Receipt No	RJ1505501508718		
Name Of Seller	UIT KOTA		
Name Of Buyer	RESONENT WEALTH CON P LTD THR [illegible]WANSHI		
Type of Document	Article 33(C)(II) Lease Deed For Local Bodies (Patta)		
ACC Reference	SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/KOTA II		

Stock Holding Corporation of India Limited

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 50000	CSI	₹ 0
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 50000	**Service Charges**	₹ 40
Grand Total	₹ 50040		

(Rupees Fifty Thousand Forty Only)

Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID	RJ010101JRR	Receipt Date	05-AUG-2015 16:56
S R Location	KOTA-I		
Receipt No	RJ1505511508720		
Name Of Seller	UIT KOTA		
Name Of Buyer	RESONENT WEALTH CON P LTD THR GPA DEEPAK RAJWANSHI		
Type of Document	Article 33(C)(II) Lease Deed For Local Bodies (Patta)		
ACC Reference	SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/KOTA II		

Stock Holding Corporation of India Limited

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 17700	CSI	₹ 0
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹17700	**Service Charges**	₹30
Grand Total	₹17730		

(Rupees Seventeen Thousand Seven Hundred Thirty Only)

Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-RJ03432379829309N
Certificate Issued Date	:	05-Aug-2015 04:30 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ rjshcil01/ KOTA II/ RJ-KT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJSHCIL0[illegible]39954886837IN
Purchased by	:	RESONENT WEALTH CON P LTD THR GPA DEEPAK RAJWANSHI
Description of Document	:	Article 33(c)(II) Lease Dead for Local Bodies (Patta)
Property Description	:	KH NO 200/1 SAKTPURA KOTA
Consideration Price (Rs.)	:	1,17,69,900 (One Crore Seventeen Lakh Sixty Nine Thousand Nine Hundred only)
First Party	:	UIT KOTA
Second Party	:	RESONENT WEALTH CON P LTD THR GPA DEEPAK RAJWANSHI
Stamp Duty Paid By	:	RESONENT WEALTH CON P LTD THR GPA DEEPAK RAJWANSHI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	6,74,350 (Six Lakh Seventy Four Thousand Three Hundred And Fifty only)

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

उप पंजीयक, प्रथम कोटा

Please write or type below this line

0001641553

VOID VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

आज दिनांक 5 माह August सन् 2015 को 14:53 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री DEEPAK RAJWANSHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री B.N RAJWANSHI
उम्र 47 वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
2-A-8 TALWANDI KOTA
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KOTA
(2015006725)
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं0 2015006409 दिनांक 05/08/2015
पंजीयन शुल्क रू0 117700/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 0/-
सरचार्ज 0/-
कुल योग रू0 118000/-

(2015006725) उप पंजीयक, KOTA
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) 1-RESONANT WEALTH CONSULTANCY P.LTD TH GPA DEEPAK RAJWANSHI/B.N RAJWANSHI Age:47, Caste-MAHAJAN Ocu.-BUSINESS R/O-2-A-8 TALWANDI KOTA			
ने लेख्यपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 11769980/- पूर्व में/मेरे समक्ष/ने पी रू0 11769900/- पूर्व में [illegible] ____ [illegible] प्राप्त करना स्वीकार किया।			
उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान 1. श्री/श्रीमती/सुश्री MAHAVEER SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GOPAL LAL उम्र 62 BRAHAMIN व्यवसाय RETD 32 ADARSH NAGAR BUNDI ROAD KOTA			
2. श्री/श्रीमती/सुश्री SATYENDRA YADAV ADVOCATE पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHYAMLAL SINGH उम्र 38 वर्ष जाति AHIR व्यवसाय P.JOB निवासी C-5-103 MAHALAXMIPURAM BARAN ROAD KOTA ने की है जिनके			

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

उप पंजीयक, KOTA

(2015006725) उप पंजीयक, KOTA
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

आज दिनांक 05/08/2015 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1312
में पृष्ठ संख्या 184 क्रम संख्या 2015004773 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3560
के पृष्ठ संख्या 390 से 395 पर
चस्पा किया गया।

(2015006725) उप पंजीयक, KOTA
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

नगर विकास न्यास, कोटा

प्रमाण पत्र

क्रमांक : 217

दिनांक : 3 / 8 /2015

1 :- भू-स्वामी का नाम : ऐसोनेन्ट वेल्थ कन्सलटेन्सी प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय ओ. सी.एफ. 69/331 वि.टी. रोड मानसरोवर जयपुर (राज0) जर्ये निदेशक चरणजीत कौर पुत्री जगतार सिंह जाति सिक्ख नि0 ग्राम मेहके तह0 निहालसिंह वाला जिला मोगा (पंजाब) जर्ये पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री दीपक राजवंशी

2 :- पिता/पति का नाम : बी.एन. राजवंशी जाति महाजन

3 :- भूखण्ड संख्या : एकल पट्टा (ग्रुफ हाउसिंग प्रयोजनार्थ)

4 :- योजना का नाम /(ग्राम का नाम) : ख0न0 200/1 / (सकतपुरा)

5 :- क्षेत्रफल (वर्गगज) : 26749.77

6 :- वार्षिक नगरीय कर की राशि : ....

7 :- एक बारीय नगरीय कर की राशि : 2353979.76/-

(कालम 6 से 10 गुणा राशि)

उपरोक्त राशि 2353979.76/- अंक रूपये...अक्षरे....तेवीस लाख तरेपन हजार नो सो उन्यासी रू छियत्तर पैसे मात्र....

रसीद संख्या/चालान संख्या..........4522..........दिनांक ....29.7.2015..........द्वारा जमा करवाये गये।

अतः भू-आवंटन की शर्त संख्या ....2(ब).. में अंकित अवधि को अवशेष अवधि के लिए .... नगरीय कर के भूगतान से उक्त भूखण्ड को मुक्त किया जाता है ।

उप-सचिव एवं प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, कोटा

नगर विकास न्यास, कोटा

भू–आवंटन पत्र

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(बी) के तहत पुनः आवंटन

दिनांक :– 3 / 8 / 2015

क्रमांक – 217

(1) भूखण्ड धारी का नाम – रेसोनेन्स हेल्थ कन्सलटेन्सी प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय ओ.सी.एफ. 69/331 वि.टी. रोड मानसरोवर जयपुर (राज.) जरिये निदेशक परणजीत कौर पुत्री जगतार सिंह जाति सिक्ख नि0 ग्राम मेहक तह0 निहालसिंह वाला जिला मोगा (पंजाब) जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री दीपक राजवंशी

(2) पति/पिता का नाम – बी.एन. राजवंशी जाति महाजन

(3) पता – 2–ए–8, तलवण्डी कोटा राज.

(4) भूखण्ड संख्या – एकल पट्टा (ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ) क्षेत्रफल 26749.77 वर्गगज

(5) योजना का नाम – ख0न0 200/1 (ग्राम–सकतपुरा)

(6) सहकारी समिति का नाम –

(7) जोन संख्या –

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–5(3)न.वि.वि./3/99 दिनांक 10/07/1999 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी को आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग हेतु नियमन कर नियमन दर पुनः आवंटन किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होंगी –

1 यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।

2 यह भूखण्ड पर नियमानुसार नगरीय कर देय होगा जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर/आरक्षित दर या 2.5 प्रतिशत 60 प्रतिशत प्रति वर्ग गज है, नगरीय कर की उक्त राशि की नियमानुसार समय–समय पर बढोतरी की जा सकेगी।

3 भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।

4 यदि भूखण्ड 500 वर्ग मीटर क्षेत्र तक का है तो उस पर निर्माण इस आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है। जिसमें साईट प्लान के अनुसार सैट–बैक छोड़ने होंगे एवं न्यास के बिल्डिंग बाईलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इससे अधिक के लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

5 इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड के सरकार/जीवन बीमा निगम/सिडकुल/बैंक/सरकारी ऋणदायी संस्था/एच0डी0एफ0सी0 अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदायी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।

6 साईट प्लान न्यास द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।

7 आवंटी द्वारा सम्बन्धित नियमों, उपनियमों राज्य सरकार/न्यास के समय–समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णय की अनुपालना की जावेगी।

8 प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है। अतः कब्जा सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।

9 आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण नगर विकास न्यास के नियमों के अनुसार न्यास से करवाना होगा।

10 यह आवंटन पत्र भूखण्ड के आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ है निर्मित भूखण्ड के सम्बंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प–5(3)नविवि/3/99 दिनांक 10/07/1999 द्वारा भवन वाणिज्यिक विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बंध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

11 उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

12 भूखण्ड की लीज डीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है :– (संलग्न साईट प्लान व अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार)

भूखण्ड की लम्बाई x चौड़ाई :–

सामने (   ) पीछे (   ) 26749.77 वर्गगज

साइड (   ) (   )

अधिकतम एफ0ए0आर0 स्वीकार्य

भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

प्राधिकृत अधिकारी (विशेषाधिकारी)
नगर विकास न्यास, कोटा

दिनांक 7 / 8 / 2015

क्रमांक :–

प्रतिलिपि :– लेखा शाखा, नगर विकास न्यास, कोटा को सूचनार्थ एवं नगरीय कर रजिस्टर तुरन्त तैयार करने हेतु।

प्राधिकृत अधिकारी (विशेषाधिकारी)
नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

आवासीय/व्यवसायिक/अन्य प्रयोजनार्थ के लिये भूमि पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु।)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 3/8/ 20 15 को, आवंटन पत्र संख्या 217 सन .... को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर श्री/श्रीमति ऐस्सोटेक बिल्डवेल कन्सलटेन्सी प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय ओ-बी-एफ. 69/331 वि. टी. रोड मानसरोवर जयपुर (राज०) जरिये निदेशक [illegible] पुत्री अवतार सिंह जरिये [illegible] नि० ग्राम मेहके तह० नि. बालासिंह वाला जिला मोगा (पंजाब) जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री दीपक राजवंशी आत्मज श्री [illegible] [illegible] कोटा (राज०) निवासी/स्थित इसके पश्चात पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधी और मुख्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगें।) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रुपये 2942475/- अक्षरे उन्तीस लाख बियालीस हजार चार सौ पिचहत्तर रु० मात्र रुपये मात्र की रकम में नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदाकर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है।) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है। जो .... गृह निर्माण समिति की एकल पट्टा (गृह[illegible]) योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात -

1. उक्त भूखण्ड नगरीय कर के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।
2. (अ) पट्टेदार नगर विकास न्यास, कोटा के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबन्ध में नियमन दर .... रुपये प्रतिवर्ग गज की दर से कुल राशि .... रुपये की 2.5% की दर से नगरीयकर जमा करायेगा। निर्धारित तिथी तक जमा नही करने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी। 31 मार्च से पूर्व अग्रिम नगरीय कर जमा कराने पर नियमानुसार छूट भी देय होगी।
   पूरे दस वर्ष का अग्रिम नगरीय कर एक मुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि. /3/99 दिनांक 15/11/99 के अनुसार नगरीय कर आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि 2,942,475/- रुपये की 2.5% प्रति वर्ष की दर से देय होगा।
3. नगरीय कर की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25% उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथी से संगणित की जायेगी।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो नगरीय कर के कारण वाजिब हो, अदायगी करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत वसूल करने के लिये सक्षम होगी।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल जारी किये गए प्रयोजनार्थ किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का आवंटन से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 5(3) न वि.वि./3/99 दिनांक 10/07/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के संबन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक का रिक्त है तो उस पर निर्माण आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेट बेक साइट प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे तथा न्यास के बिल्डिंग बाईलाज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजो के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
7. यदि भूखण्ड 500 मीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण न्यास से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवा कर करना होगा।

8. भूखण्ड का हस्तान्तरण नगर विकास न्यास की पूर्ण अनुमति के बिना नही कराया जा सकेगा।

9. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण न.वि. न्यास, कोटा के नियमो के अनुसार न्यास से करवाना होगा।

10. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति देगा।

11. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तो एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तो का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

नोट :-(i) आन्तरिक विकास कार्यों की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्त्ता/कालोनाईजर की है। योजना तक बाहय विकास हेतु नगर विकास न्यास का स्वामित्व केवल बाहय विकास शुल्क के पेटे न्यास में जमा राशि तक ही सीमित होगा शेष दायित्व कालोनाईजर का होगा।

(ii) इस भूखण्ड की नियमन राशि 2952475/- रूपये की पंजीकृत मूल्य राशि रु .... होती है अतएव स्टाम्प नं. .... स्टाम्प रु. .... संख्या .... बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है। संलग्न साईट प्लान व अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार

कोटा नगर क्षेत्र

ग्राम सकतपुरा
खसरा नं. 200/1
विस्तृत माप संलग्न साईट प्लान व अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार
क्षेत्रफल 26749.77 वर्ग गज

पूर्व .... पश्चिम .... भूखण्ड संख्या ....
उत्तर .... दक्षिण .... कुल क्षेत्रफल ....
योजना/कालोनी का नाम एकल पट्टा (ग्रुप हाउसिंग) Kh.No.-200/1 ग्राम सकतपुरा

सीमाएं
पूर्व अन्य आराजी
पश्चिम रोड व अन्य आराजी
उत्तर रोड
दक्षिण अन्य आराजी

सरकार की ओर से

आज सन् 20 .... के .... माह के .... वें दिन ....
श्री .... सक्षम अधिकारी न.वि.न्यास, कोटा
ने निम्न की उपस्थिति में कोटा में हस्ताक्षर किये।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम पवन कुमार
पिता/पति का नाम श्री हजारी लाल
व्यवसाय पटवारी
निवास स्थान कोटा

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम ....
पिता/पति का नाम ....
व्यवसाय ....
निवास स्थान ....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक .... 20 .... को
निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ....(आवंटी)
द्वारा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा में हस्ताक्षर किये गयें

आवंटी के हस्ताक्षर

1. नाम मेहरा बानो
पिता/पति का नाम श्रीमान खुशहाल चन्द बानो
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान रामपुरा कोटा

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम ....
पिता/पति का नाम ....
व्यवसाय ....
निवास स्थान ....
आज दिनांक .... 20 .... को

साक्षी के हस्ताक्षर